

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 3403 / 11-सी-FP/UP/Approach/153338/2022, लखनऊ, दिनांक: मई 21, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),  
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:-

जनपद-देवरिया में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस०एच०-79) के किमी० नं०-11 (चैनेज सं०-100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-418, ग्राम-सिरसिया, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/06/135/2023/एफ०सी०/548, दिनांक 12.03.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर का पत्रांक-2791/2-6, दिनांक 20.05.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा की गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के उपरोक्त पत्रांक-2791/2-6, दिनांक 20.05.2024 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रतत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**संलग्नक: उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

  
(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

**पत्रांक:- 3403 / 11-सी-FP/UP/Approach/153338/2022, दिनांकित।**

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।**

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, देवरिया।
3. टेरीटरी मैनेजर, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, गोरखपुर प्रादेशिक कार्यालय, बैतालपुर डिपों, देवरिया।

  
(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।



कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर  
पत्रांक 2791 / 2-6 दिनांक, गोरखपुर, मई 20 / 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी  
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय- भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, देवरिया-कसया मार्ग एस०एच०-79 के कि०मी० 11 (चैनेज सं०-100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-418, ग्राम-सिरसिया, तहसील व जिला देवरिया, देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 0.5 वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।  
संदर्भ- भारत सरकार के पत्र सं०-8बी/यू०पी०/०६/135/2023/एफ०सी०/548 दिनांक 12.03.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 2297/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/एप्रोच/153338/2022, दिनांक 13.03.2024 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया का पत्रांक-2530/2-6, दिनांक 26.04.2024  
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया ने अपने पत्रांक- 2530/2-6, दिनांक 26.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त बिन्दुओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव /अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी संशोधित प्रस्ताव/अभिलेख एतसह संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।  
संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भविदीय,  
(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,  
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ।  
A/B

संख्या- अ/ दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(भीम सेन)  
मुख्य वन संरक्षक,  
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया  
पत्रांक 2530 / 2-6 दिनांक, देवरिया, अप्रैल 26 / 2024  
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
गोरखपुर मण्डल,  
गोरखपुर ।

विषय :- जनपद-देवरिया में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच0-79) के कि0मी0 सं0-11 (चैनेज सं0-100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-418 ग्राम-सिरसिया तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 वृक्षों/पौधों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- भारत सरकार के पत्र सं0-8 बी/यू0पी0/06/135/2023/एफ0सी0/548 दिनांक 12.03.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-2297/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/153338/2022 दिनांक 13.03.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप में निम्न

प्रकार है:-

क्र0 सं0	आपत्ति	उत्तरालेख
1	2	3
1	उस प्राधिकारी का नाम जिसमें एफ0 सी0ए0 1980 के उल्लंघन में आदेश पारित किया है और डी0एफ0ओ0 द्वारा उल्लंघन की कार्यवाही की गयी है ?	प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा एफ सी ए 1980 का उल्लंघन किया गया है। जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एच-2 केस जारी किया गया है (छाया प्रति संलग्न है)। तथा धारा-3बी के तहत कार्यवाही की गयी है (प्रति संलग्न है) ।
2	प्रभागीय वनाधिकारी,(डी0एफ0ओ0) यह सुनिश्चित करे कि प्रभाग में कोई भी अन्य खुदरा दुकान सक्षम प्राधिकारी की उचित मंजूरी के बिना संचालित नहीं हो रही है?	प्रभाग के अन्तर्गत अन्य कोई भी रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प बिना अनुमति के संचालित नहीं है यदि कोई संचालित पाये जाते है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाता है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

निदेश

म.प्र.सं.0  
दि. 25.04.2024

1200  
206  
9-5-24

भवदीय

R. J. Jaiswal  
(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया



सामाजिक वानिकी प्रभाग देवरिया

सामाजिक वानिकी अधिनियम 1927 का धारा 33 E - नि

विकास नंबर 0/10/अ/10/20 देवरिया संख्या 20

संस्थापक के नाम विसय का नाम क्या क्या है समिति 10/अ/10/20 देवरिया  
नाम - कामेश्वर प्रसाद पंचरपथ थाप - कर्मचारी

बसाव का नाम, आकार कितना है देवरिया (उच्च)  
1. कुछ भी नहीं था वन होने  
2. किसी भी प्रकार से नहीं

किसी अंगरक्षक का पूरा विवरण देवरिया - कामेश्वर मार्ग KM 11-12 के अर्द्ध पर  
सड़क पर कामेश्वर प्रसाद पंचरपथ थाप - रामपुर कान आला कि देवरिया में  
जहाँ यह जन्म हुआ था वहाँ 20 वर्षों का 35x35x86 = 266.1 वर्ग  
फुट क्षेत्र का किताब उतूबारी का भी बानिकी प्रयोग किताब  
आना।

अंगरक्षक के समय यदि अंगरक्षक का कोई सामान अंगरक्षक से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण X

पूला हानि का सूचना नहीं है

बसाव की गयी लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान X

530(5)

अनुसूची

संस्थापक के विवरण कामेश्वर प्रसाद पंचरपथ  
पता समिति 10/अ/10/20 देवरिया  
विकास नंबर 0/10/अ/10/20  
संख्या 20  
विवरण देवरिया कामेश्वर मार्ग KM 11-12 के अर्द्ध पर सड़क पर कामेश्वर प्रसाद पंचरपथ थाप - कर्मचारी जहाँ यह जन्म हुआ था वहाँ 20 वर्षों का 35x35x86 = 266.1 वर्ग फुट क्षेत्र का किताब उतूबारी का भी बानिकी प्रयोग किताब आना।

